

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223106
SG-DL-E-17112020-223106

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 194
No. 246]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942	[N. C. T. D. No. 194

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर, 2020

सं.फां. 6/18/2020-न्याय/अधी.विधि./1108-1114:-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्न अधिकारियों को नियुक्त/पदोन्नत करते हैं:-

- (1) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1970 के नियम 7(1)(क) के तहत, दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी आधार पर नियमित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यालय में उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति के लिए एवं उन्हें उक्त तिथि से दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखते हैं:-

1	श्री विनोद कुमार गौतम	9	सुश्री अनु अग्रवाल
2	श्री अजय सिंह शेखावत	10	श्री जय थरेजा
3	सुश्री न्याय बिन्दू	11	सुश्री कोलेट रश्मि कुजूर
4	सुश्री एकता गाबा मान	12	श्री पुरषोत्तम पाठक
5	सुश्री गुरमोहिना कौर	13	सुश्री मोना टर्डी करकेट्टा
6	श्री हरज्योत सिंह भल्ला	14	श्री सुनील कुमार
7	श्री अरुल वर्मा	15	श्री जगमिंदर सिंह
8	सुश्री जसजीत कौर	16	श्री पवन सिंह राजावत

- (2) दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के 16 पदों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर 16 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए दो वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए अस्थायी/संविदात्मक आधार पर उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में आवश्यक वचनबंद प्रस्तुत करने के अधीन, उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति के लिए:-

1	श्री राजिंदर कुमार	9	श्री विक्रान्त वैद
2	श्री विपिन खरब	10	श्री नवजीत बुद्धिराजा
3	श्री सुशील अनुज त्यागी	11	सुश्री नेहा पालीवाल
4	श्री सुशांत चंगोत्रा	12	श्री अंकित सिंगला
5	सुश्री सुरभि शर्मा वत्स	13	सुश्री शेफाली शर्मा
6	सुश्री रुचिका सिंगला	14	सुश्री नेहा
7	श्री धीरज मोर	15	सुश्री विजेता सिंह रावत
8	श्री निपुण अवस्थी	16	श्री सुनील कुमार शर्मा

तदर्थ आधार पर पदोन्नति दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के संवर्ग में पूर्वोक्त अधिकारियों पर अवशोषण या वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी तथा इस तरह के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के बंद होने के मामले में ऐसे अधिकारी दिल्ली न्यायिक सेवा के मूल संवर्ग में वापस आ जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 13th November, 2020

No.F.6/18/2020-Judl./Suptlaw/1108-1114: —The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint/promote the following officers:—

- (1) For the appointment of the following officers of Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service under Rule 7(1)(a) of DHJS Rules, 1970 on regular basis against regular vacancies with effect from the date, they assume charge of the office and to place them on probation in the Delhi Higher Judicial Service for a period of two years from the said date:

1	Mr. Vinod Kumar Gautam	9	Ms. Anu Aggarwal
2	Mr. Ajay Singh Shekhawat	10	Mr. Jay Thareja
3	Ms. Niyay Bindu	11	Ms. Colette Rashmi Kujur
4	Ms. Ekta Gauba Mann	12	Mr. Purshotam Pathak
5	Ms. Gurmohina Kaur	13	Ms. Mona Tardi Kerketta
6	Mr. Harjot Singh Bhalla	14	Mr. Sunil Kumar
7	Mr. Arul Varma	15	Mr. Jagminder Singh
8	Ms. Jasjeet Kaur	16	Mr. Pawan Singh Rajawat

- (2) For the appointment of the following officers of Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service on ad hoc basis against 16 posts of DHJS sanctioned by GNCTD on temporary/contractual basis for an initial period of two years for setting up of 16 Fast Track Special Courts, subject to their furnishing requisite undertaking to Delhi High Court, from the date they assume charge:

1	Mr. Rajinder Kumar	9	Mr. Vikrant Vaid
2	Mr. Vipin Kharb	10	Mr. Navjeet Budhiraja
3	Mr. Sushil Anuj Tyagi	11	Ms. Neha Paliwal
4	Mr. Sushant Changotra	12	Mr. Ankit Singla
5	Ms. Surabhi Sharma Vats	13	Ms. Shefali Sharma
6	Ms. Ruchika Singla	14	Ms. Neha
7	Mr. Dheeraj Mor	15	Ms. Vijeta Singh Rawat
8	Mr. Nipun Awasthi	16	Mr. Sunil Kumar Sharma

The promotion on ad hoc basis shall not confer any right of absorption or seniority on the aforesaid officers in the cadre of Delhi Higher Judicial Service and in case of discontinuation of such Fast Track Special Courts,

such officers shall revert back to the substantive Cadre of Delhi Judicial Service.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secretary (Law, Justice & L.A.)